कार्यालयः—जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा

क्रमांक / जि.वि.से.प्रा. / 2026 / 41 दिनांकः 31.01.26

:: विज्ञप्ति ::

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक—: 26081—26111 दिनांक—13.09.2019, 33022—33057 दिनांक 12.10.2020, 20000—35 दिनांकः—24.11.2021, 1766—1801 दिनांक 17.01.2023 एवं पत्रांक 20812 दिनांक 22.11.2024 में दिये गये निर्देशानुसार मौजूदा पैनल को पुनः **Review, Reassess and Resize** करते हुए माननीय नालसा, नई दिल्ली के द्वारा जारी **SCHEME FOR PARA-LEGAL VOLUNTEERS (REVISED)** एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के परिपत्र क्रमांक : 12 दिनांक 23.09.2015, पत्रांकः 15539—582 दिनांक 29.11.2025 के द्वारा जारी **SOP (Rajasthan State Legal Services Authority DIRECTIVES for Efficient and Managed Utilization of Para Legal Volunteers for DLSAs and TLSCs in Rajasthan 2025)** तथा पत्रांक **RSLSA/2026/878-921** दिनांक :16.01.2026 के द्वारा जारी निर्देशानुसार माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय) दौसा के अनुमोदन उपरान्त जिला मुख्यालय दौसा एवं ताल्लुका विधिक सेवा समिति, महवा, बांदीकुई, लालसोट, सिकराय पर पैरा लीगल वॉलेन्टियर (अधिकार मित्र) का चयन कर नवीन पैनल तैयार करने बाबत् पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

चयनित पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स (अधिकार मित्र) को आगामी 01 वर्ष की अवधि के लिये विधिक सेवा केन्द्रों के संचालन / विधिक जागरूकता के कार्यों का संपादन किये जाने बाबत् लगाया जायेगा तथा 01 वर्ष की अवधि में उनका कार्य संतोषजनक पाये जाने पर उनके कार्य अवधि को आगे के लिये बढ़ाया जा सकता है :—

क्र.सं.	मुख्यालय	जिला मुख्यालय / ताल्लुका विधिक सेवा समिति	निर्धारित पैनल में पीएलवी की संख्या	रिजर्व पैनल में पीएलवी की संख्या	कुल पैनलित पीएलवी की संख्या
01	दौसा	दौसा	10	15	25
02	लालसोट	लालसोट	04	02	06
03	सिकराय	सिकराय	04	02	06
04	बांदीकुई	बांदीकुई	04	02	06
05	महवा	महवा	06	02	08
कुल			18	23	51

1. पात्रता :—

- शिक्षक (सेवानिवृत शिक्षकों सहित)।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
दौसा, जिला-दौसा

- शासकीय/अर्द्धशासकीय/स्वायत्त शासन सेवा/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/बैंक/पैरामैडिकल/ विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ विद्यालय आदि के सेवानिवृत्त व्यक्ति ।
- एम.एस.डब्ल्यू विधार्थी और शिक्षक।
- आंगनबाडी/सामाजिक कार्यकर्ता
- महिला संगठनों/महिला स्वयं सेवा समूह के सदस्य/पंचायत राज और नगरपालिका/निगम संस्थाओ के स्वैच्छिक कार्यकर्तागण/एनएसएस यूनिट के कार्यकर्तागण।
- विद्यार्थी और विधि विद्यार्थी (जब तक उनका वकील के रूप में नामांकन ना हो)।
- गैर राजनीतिक, सेवा उन्मूख एन.जी.ओ. और क्लबों के सदस्य।

Note: (संबंधित ताल्लुका विधिक सेवा समिति से पात्र अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी को नियुक्त किया जा सकता है।)

2. <u>योग्यताः—</u> न्यूनतम आयु 21 वर्ष, आवेदक को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उतीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की अच्छी व व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिए।
3. <u>आवेदन पत्रः—</u> अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये प्रोफार्मा में प्रस्तुत करना होगा।
4. <u>चयन प्रक्रियाः—</u>पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स (अधिकार मित्र) के इच्छुक दावेदारों में से सर्वश्रेष्ठ दावेदारों की शोर्टलिस्टिंग कर मूल्यांकन के लिए बुलाया जायेगा तथा चयनित पैरा लीगल वॉलेन्टियर (अधिकार मित्र) को पूर्णतः अस्थाई रूप से विधिक सेवा क्लिनिकों के संचालन हेतु एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन हेतु नियुक्त किया जावेगा।
5. <u>चरित्रः—</u> आवेदक द्वारा दो राजपत्रित अधिकारी एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो आवेदक के सम्बन्धी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
6. <u>शारीरिक योग्यताः—</u> आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ्य होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होना चाहिए।
7. <u>आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किये जावेः—</u>
   - जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की अथवा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
   - शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
दौसा, जिला-दौसा

- चरित्र प्रमाण पत्र की दो मूल प्रतियाँ (दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।)
- आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिए।
- आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास की सत्यापित प्रति।
- बैंक पास बुक की फोटो प्रति।
- किसी भी न्यायालय में कोई फौजदारी प्रकरण लंबित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र।

8. <u>अण्डरटेकिंग :–</u> चयनित पैरालीगल वॉलेन्टियर (अधिकार मित्र) संबंधित स्कीम व उनको दिये गये उत्तरदायित्वों की सीमा तक ही अपनी कार्यशैली को नियंत्रित रखेंगे व किसी प्रकार का विभागीय दुरूपयोग नहीं करेंगे, इस बाबत् अण्डरटेकिंग दिया जाना अनिवार्य होगा।

9. <u>हटाया जाना या पदच्युत किया जाना :–</u>
   - विधिक सेवा योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग नहीं देना तथा रूचि नहीं रखना।
   - दिवालिया घोषित हो जाना।
   - किसी अपराध का अभियुक्त होना।
   - पैरालीगल वॉलेन्टियर (अधिकार मित्र) के रूप में कार्य करने के लिये शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाना।
   - राजनैतिक पार्टियों से संबंध रखना।
   - अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरूपयोग कर चुका हो कि उसका पैरालीगल वॉलेन्टियर (अधिकार मित्र) के रूप में कार्य करना, लोकहित में प्रतिकुल प्रभाव डालने वाला हो।

10. <u>आवेदन की अन्तिम तिथिः–</u> आवेदन पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एडीआर भवन, जिला एवं सैशन न्यायालय परिसर दौसा, कलेक्ट्रेट सर्किल दौसा मे दिनांक 01–02–2026 से दिनांक 20–02–2026 को सायं 05.00 बजे तक व्यक्तिगत/डाक से जमा करवाये जा सकते है। इस तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियाँ अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

11. <u>चयनित पैरा लीगल वॉलेन्टियर (अधिकार मित्र) के कर्तव्य (डयूटी):–</u>
   - समाज के कमजोर वर्ग के लोगो को उनके अधिकारों (समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता आदि) से अवगत कराना।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
दौसा, जिला-दौसा

- ❖ आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिए निस्तारित किये जाने की जानकारी प्रदान करना।
- ❖ पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल व द.प्र.सं. की धारा 357–ए (396 बीएनएसएस) के तहत समुचित मुआवजा मिलने की जानकारी प्रदान करना।
- ❖ माननीय नालसा, रालसा के द्वारा जारी हेल्पलाईन नम्बर, पोर्टल के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- ❖ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल, लॉकअप, मनोरोग अस्पताल ,सम्प्रेषण गृह का विजिट करना व निरूद्ध बंदीगणों एवं वांछित व्यक्तियों को अपने विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
- ❖ बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार सम्बन्धी अधिनियमों की अवज्ञा (वॉयलेशन) होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्थानों को जानकारी प्रदान करना।
- ❖ विवादों का प्री–लीटीगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता, मीडिएशन आदि के माध्यम से निस्तारण करवाने के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना।
- ❖ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति के निर्देशानुसार पैरा लीगल वॉलेन्टियर (अधिकार मित्र) द्वारा अपने कार्यक्षेत्रों में निर्धारित दिवस, स्थान तथा विषय पर विधिक सेवा कार्यक्रमों/विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन करना।
- ❖ पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स (अधिकार मित्र) द्वारा आम जनता को यह भी जानकारी दी जायेगी कि स्थाई लोक अदालत के माध्यम से बिजली, पानी, परिवहन, बैकिंग एवं बीमा, नगर निकाय, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षिक/शैक्षणिक सेवाएं, आवास एवं भू–सम्पदा सेवाएं, एलपीजी सेवा संबंधी विवाद निस्तारित होते है।
- ❖ पैरालीगल वॉलेन्टियर्स (अधिकार मित्र) द्वारा माननीय रालसा, नालसा एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं उनसे संबंधित मेटेरियल (लिपलेट्स, पम्पलेट्स, पोस्टर आदि) का प्रचार–प्रसार करना।
- ❖ माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा ताल्लुका विधिक सेवा समितियों द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करना।

12. <u>स्पष्टीकरणः–</u> आवेदकों को अपने आवेदन पत्र में यह अंकित करना अनिवार्य है कि आवेदक किस स्थान अर्थात् जिला स्तर पर या तालुका स्तर पर पैरालीगल वॉलेन्टियर (अधिकार मित्र) के रूप में सेवाएँ प्रदान करना चाहता है। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया जाता

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
दौसा, जिला-दौसा

है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा एवं ताल्लुका विधिक सेवा समिति, सिकराय, महवा, बांदीकुई, लालसोट पर पैनलित पैरा लीगल वॉलेन्टियर (अधिकार मित्र) को माननीय रालसा, जयपुर से प्राप्त निर्देशानुसार रोस्टर के आधार पर कार्य आवंटित किया जावेगा तथा आवंटित कार्य की एवज् में माननीय रालसा, जयपुर के द्वारा नियत (फिक्स) मानदेय के अलावा अन्य किसी प्रकार का अन्य वेतन, पारिश्रमिक या पैकेज नहीं दिया जायेगा।

नोटः– आवेदनकर्ता संलग्न प्रारूप में आवेदन करें।

संतोष अग्रवाल (R.J.S.)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश)
दौसा

क्रमांकः 810-844 दिनांकः 31.01.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर, दौसा ।
3. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, दौसा।
4. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, तालुका विधिक सेवा समिति, महवा/बांदीकुई/लालसोट/सिकराय।
5. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, दौसा को जिला एवं सत्र न्यायालय दौसा की आधिकारिक वेबसाईट पर प्रकाशित/अपलोड करने हेतु।
6. अध्यक्ष, बार संघ दौसा/महवा/बांदीकुई/लालसोट/सिकराय।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, दौसा।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति दौसा/महवा/बांदीकुई/लालसोट/सिकराय/लवाण।
9. अधीक्षक, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह श्यालावास, दौसा/उपाधीक्षक जिला करागृह, दौसा/कारापाल, उपकारागृह, बांदीकुई।
10. क्षेत्रीय उपनिदेशक, महिला बाल विकास विभाग दौसा ।
11. जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी दौसा।
12. नोटिस बोर्ड जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा।
13. नोटिस बोर्ड तालुका वि0से0स0, महवा/बांदीकुई/लालसोट/सिकराय।
14. नोटिस बोर्ड बार एसोसिएशन दौसा/महवा/बांदीकुई/लालसोट/सिकराय।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश)
दौसा

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा

पैरा लीगल वॉलेन्टियर (अधिकार मित्र) हेतु आवेदन पत्र

ताल्लुका विधिक सेवा समिति मुख्यालय का नामः—................

पासपोर्ट साईज फोटो स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त

01.	आवेदक का नाम	:—	....
02.	पिता / पति का नाम	:—	....
03.	जन्म तिथि	:—	....
04.	योग्यता	:—	....
05.	विशेष योग्यता	:—	....
06.	अनुभव	:—	....
07.	ताल्लुका वि. से. समिति मुख्यालय का नाम (जहाँ आवेदक सेवाएँ देने हेतु इच्छुक है)	:—	....
08.	स्थायी पता	:—	....
09.	वर्तमान पत्राचार पता	:—	....
10.	मोबाईल नम्बर व ई—मेल	:—	....

आवेदक के हस्ताक्षर

—:सहमति पत्रः—

मैं .... पुत्र / पुत्री ....निवासी .... विधिक सेवा केन्द्रों पर संचालित होने वाले कार्यों के लिए पैरा लीगल वॉलियन्टर (अधिकार मित्र) की सेवाएं देने बाबत् अपनी सहमति प्रदान करता / करती हूँ तथा आवेदन पत्र में अंकित मेरी जानकारी / विवरण मेरे निजी ज्ञान से सही है व मैंने जानबुझकर कोई भी तथ्य नही छिपाया है।

मैं पैरा लीगल वॉलियन्टर (अधिकार मित्र) के पैनल में शामिल होने के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा आवंटित कार्यों एवं प्रदत्त उत्तरदायित्वों की सीमा तक ही अपनी कार्यशैली को नियंत्रित रखूंगा / रखूंगी तथा किसी भी प्रकार का विभागीय दुरूपयोग नहीं करूंगा / करूंगी। यदि मेरा कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो मुझे बिना किसी पूर्व सूचना / नोटिस के पैरालीगल वॉलेन्टियर के पैनल से हटाये जाने का पूर्ण अधिकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा को होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्नः—

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
दौसा, जिला-दौसा